दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 11 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 251

महत्वपूर्ण एवं खास

अगले 4 दिनों तक 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के हवाएं चलने की संभावना : आईएमडी

नई दिल्ली (आरएनएस)। आईएमडी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार ,जारी करने का समयः 1150 बजे आईएसटी)उत्तर-पश्चिम भारत के लिए मौसम पूर्वानुमान, पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किये गए मुख्य मौसम की स्थिति (जारी किए जाने का समय 0830 आईएसटी) उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में एक-दो स्थानों गर्जना के साथ वर्षा दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। जबकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बादलों की गर्जना भी हुई। उत्तर प्रदेश में एक दो जगहों पर धूल भरी आंधी भी चली। राजस्थान को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत के बाकी क्षेत्रों में इस दौरान अधिकांश स्थानों पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान में एक-दो स्थानों पर ही वर्षा का अनुमान है।

कोरोना काल में पोक्सो से संबंधित 49 हजार से ज्यादा मामलों का निस्तारण : सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान दुष्कर्म और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े 49000 से ज्यादा लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। बीते सात सालों में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये किये गए कामों के सूचीकरण का उल्लेख करते हुए केंद्र के नागरिक जुड़ाव मंच 'माईगॉवइंडिया' ने कहा कि यौन अपराधों के मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिये 389 विशिष्ट पोक्सो अदालतों समेत 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का गठन किया गया। माईगॉवइंडिया ने एक ट्वीट में कहा कि 341 यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अदालतों समेत 641 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का संचालन शुरू हो चुका है। इसमें कहा गया कि महामारी के बीच में दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के 49000 से ज्यादा लंबित मामलों को निस्तारित किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्विटर पर पोषण आपूर्ति सेवा पर नजर रखने के लिये बनाए गए ऐप 'पोषण ट्रैकर' के विवरण साझा किये। उनके द्वारा साझा किये गए आंकड़े के मुताबिक मार्च में शुरुआत के बाद से पोषण ट्रैकर के जरिये 1.02 करोड़ गर्म पके हुए भोजन के पैकेट और 2.16 करोड़ से ज्यादा राशन के पैकेटों पर नजर रखी गई। पोषण (समग्र पोषण के लिये प्रधानमंत्री की व्यापक योजना) ट्रैकर का लक्ष्य आंगनवाड़ी केंद्रों, पोषण सेवा आपर्तियों पर नजर रखना और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ देना है।

एचडीएफसी बैंक में बड़ी लूट, 1 करोड़ 19 लाख रुपए ले उड़े बाइक सवार

हाजीपुर (आरएनएस)। बिहार के वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र में लुटेरे एक निजी बैंक पर धावा बोलकर एक करोड 19 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। लुटेरों की संख्या पांच बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एचडीएफसी बैंक (जडुआ शाखा) के खुलते ही पांच की संख्या में आए लुटेरों ने हथियार के बल पर बैंककर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया और लॉकर खुलवाकर वहां रखे एक करोड़ 19 लाख रुपए लूटकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। लुटेरों की संख्या पांच बताई जाती है जो बाइक पर सवार होकर आए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद उसी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना की पुष्टि करते हुए वैशाली के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा वाहनों की तलाशी ली जा रही है। घटना के बाद प्रक्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक के अंदर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा बैंक कर्मियों से पूछताछ की जा रही है।

धर्मेन्द्र प्रधान ने भिलाई, छत्तीसगढ़ में जम्बो कोविड केयर सुविधा को राष्ट्र को किया समर्पित

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज छत्तीसगढ़ के सेल के भिलाई स्टील प्लांट में बनी 114 बिस्तर की कोविड केयर सुविधा को राष्ट्र देश को समर्पित किया।यह अस्पताल गैसीय ऑक्सीजन से लैस है और इसकी स्थापना संयंत्र से गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने के बाद की गई है। यह इस परियोजना का पहला चरण है जिसका उद्देश्य अगले दो चरणों में ऑक्सीजनयुक्त 500 बिस्तरों तक विस्तार करना है। इस केंद्र में दोहरी ऑक्सीजन बैकअप सप्लाई की सुविधा है। मुख्य स्त्रोत के रूप में गैसीय ऑक्सीजन के अतिरिक्त संग्रहित तरल मेडिकल

ऑक्सीजन बैकअप का भी प्रावधान है। यह सुविधा आईटी आवश्यकताओं और दूरस्थ परामर्श की सुविधा के लिए आवश्यक इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं से भी लैस है। इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गैसीय ऑक्सीजन के स्त्रोत के निकट अस्पताल स्थापित करने और जहां बीमार, वहां उपचार का मंत्र दिया है और आज का उद्घाटन उस विजन की दिशा में एक और कदम है।

कोविड काल में भिलाई स्टील प्लांट की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधान ने कहा कि इसके अस्पताल ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति और एलएमओ की बढ़ती मांग को पूरी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग में अचानक वृद्धि हुई। अप्रैल के शुरु में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की मांग रोजाना 1300 एमटी थी जो मध्य मई तक बढ़कर 10 हजार एमटी तक हो गई। कई कदम उठा कर इस बोझ को प्रबंधित किया गया और इस्पात क्षेत्र ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई।इस्पात संयंत्रों ने स्वयं को योग्य साबित किया और अपने उत्पाद में कमी करने की कीमत पर भी देश की आवश्यकताओं को पूरा किया। 2.8 लाख मीट्रिक टन एलएमओ की आपूर्ति की गई थी जिसमें से 2 लाख एमटी इस्पात और पेट्रोलियम क्षेत्रों द्वारा दिए गए।

प्रधान ने टीकाकरण के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीकाकरण के लिए रोडमैप तैयार किया है। प्रधान ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार और सेल छत्तीसगढ़ के साथ है और राज्य के लोगों के लिए टीकाकरण को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कॉरपोरेट तथा राज्य सरकार से कम से कम समय में टीकाकरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाल के अनुभव से सीख लेते हुए भिलाई स्टील प्लांट में बनी कोविड केयर सुविधा भविष्य में भी बीमारी में वृद्धि से निपटने के लिए तैयार होगी। जब तक जरूरत महसूस होगी, तब तक यह सुविधा काम करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सेल एक कारपोरेट नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है और जल्द ही कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के

राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं का सबसे कम दाखिला

नई दिल्ली (आरएनएस)। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2019-20 के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं की हिस्सेदारी सबसे कम है वहीं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की तुलना में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिला भागीदारी कम है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 से 2019-20 के बीच उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले में कुल मिलाकर 18 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण में कुल 1,019 विश्वविद्यालयों, 39,955 कॉलेजों और 9,599 अन्य संस्थानों को शामिल किया गया। यह सर्वेक्षण देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देता है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-20 के बीच पांच वर्षों में विद्यार्थियों के नामांकन में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में छात्राओं के नामांकन में 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2019-20 में उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) 1.01 रहा जो 2018-19 में 1.00 था। यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार का संकेत देता है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के निजी मुक्त विश्वविद्यालय (2,499) के तहत संस्थानों में छात्राओं की संख्या सबसे कम है, इसके बाद राज्य विधानमंडल कानून के तहत संस्थानों (3,702) का स्थान है। हालांकि राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में यह हिस्सेदारी सबसे अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे कम (24.7 प्रतिशत) है, इसके बाद डीम्ड विश्वविद्यालय सरकार (33.4 प्रतिशत) और राज्य के निजी विश्वविद्यालयों (34.7 प्रतिशत) का स्थान है।

कोरोना... देश में ढलान के बावजूद मौतों के तांडव ने तोड़ा रिकार्ड

» 24 घंटे में 6148 मरीजों की मौत से खौफ, कोरोना के 94,052 नए मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना महामारी के दौरान एक दिन में 6148 मरीजों की मौत ने खौफ पैदा कर दिया, जो कोरोना काल में अब तक की सबसे ज्यादा रिकार्ड मौतें हुई। जब कि कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ रही है और इस दौरान केवल 94,052 नए मामले दर्ज किये गये हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ो के अनुसार बीते 24 घंटे में लगातार तीसरे दिन कोरोना के दैनिक संक्रमित मामले तो एक लाख से कम आए हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 6148 दर्ज किया गया, जिसके कारण कोरोना वायरस से हुई मौत के आंकड़े ने सभी को चौंका कर रख दिया है। गौरतलब है कि कोरोना की दोनों लहरों में अबतक दैनिक मौत का आंकड़ा इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों ने अबतक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। एक ही दिन में कोरोना से 6148 मरीजों ने जान गंवाई है। मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना के 94,052 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,91,83,121 हुई और एक दिन में 6,148 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,59,676 हो गई है। 1,51,367 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,76,55,493 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,67,952 है। हालांकि एक दिन में मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें बिहार ने अपने आंकड़े रिवाइज करके जोड़े हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि 60 दिनों बाद देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 12 लाख से कम हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित मरीजों से ज्यादा ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा ज्यादा आया है।

दिसंबर तक होंगे कोरोना के 200 करोड़ टीके : भाजपा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हर महीने देश में एक करोड़ टीकों का उत्पादन हो रहा है। जुलाई-अगस्त में यह बढ़कर छह से सात करोड़ हो जाएगा। सितंबर तक हमें उत्पादन 10 करोड़ टीके प्रतिमाह हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पहले देश में टीकों के केवल दो उत्पादक थे, जो अब 13 हो गए हैं और दिसंबर तक 19 हो जाएंगे। दिसंबर तक देश में 200 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। यह हमारा रोडमैप है।

टीकाकरण अभियान को लेकर नड्डा ने कहा कि भारत में अप्रैल महीने में ही टीकों की प्रक्रिया आरंभ हुई और जनवरी तक महज नौ महीने में देश में दो-दो टीके उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा तब हुआ जब विपक्षी दलों ने इस अभियान को लेकर लगातार सवाल खड़े किए और उसे पटरी से उतारने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में सबसे तीव्र गति से टीकाकरण अभियान चल रहा है। नड्डा ने दावा किया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब देश में ऑक्सीजन

की कमी के मामले सामने आने लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह के भीतर यह समस्या दूर की और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई। कोविड-19 को शताब्दी की सबसे बड़ी और अकल्पनीय महामारी करार देते हुए नड्डा ने इससे हुई लोगों की मौत पर अफसोस जताया और स्वीकार किया कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी लेकिन इस कमी को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन के लिए पूरी योजनाएं बनाकर और उन्हें अमली जामा पहनाया गया और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई।' पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी हुई। प्रधानमंत्री ने एक सप्ताह के अंदर जल, थल और नभ यानी पानी में जहाज के माध्यम से, सड़कों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर और ट्रेनों से तथा नभ में वायुयान से भी ऑक्सीजन पहुंचाई और इस कमी को एक सप्ताह में दूर किया। गौरतलब है कि अप्रैल-मई के महीने में देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी के कई मामले आए और इसकी वजह से राजधानी दिल्ली सहित देश के कुछ अन्य हिस्सों में कई लोगों की मौत भी हुई। इस कमी के मद्देनजर केंद्र सरकार को विभिन्न माध्यमों से विदेशों से ऑक्सीजन का आयात करना पड़ा था। नड्डा ने कहा कि पहले जहां देश में सिर्फ 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था वहीं अब इसका 9446 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है।

भाजपा को मिला 785 करोड़ रुपये का चंदा

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान व्यक्तिगत दान, चुनावी न्यास और उद्योग समूहों से कुल 785 करोड़ रुपये का चंदा मिला जो मुख्य विपक्षी कांग्रेस को इसी अवधि में मिले चंदे का करीब पांच गुना है।

भाजपा द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष चंदे को लेकर फरवरी में जमा नवीनतम रिपोर्ट और इस सप्ताह निर्वाचन आयोग द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी के मुताबिक पार्टी को 785 करोड़ रुपये का चंदा मिला।जानकारी के मुताबिक भाजपा के चंदे में सबसे अधिक योगदान चुनावी न्यास (इलेक्टोरल ट्रस्ट), उद्योगों और पार्टी के अपने नेताओं ने किया। भाजपा को सबसे अधिक चंदा देने वाले नेताओं में पीयूष गोयल, पेमा खांडू, किरण खेर और रमन सिंह शामिल हैं। इनके अलावा आईटीसी, कल्याण ज्वेलर्स, रेयर इंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, लोढा डेवलपर्स और मोतीलाल ओसवाल कुछ प्रमुख उद्योग समूह हैं जिन्होंने भाजपा को चंदा दिया। न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जलकल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट, ट्रिम्फ इलेक्टोरल ने भी भाजपा के कोष में योगदान दिया। कांग्रेस द्वारा चंदे की मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे कुल 139 करोड़ का चंदा मिला। वहीं तृणमूल कांग्रेस को आठ करोड़ रुपये,, भाकपा को 1.3 करोड़ रुपये और माकपा को 19.7 करोड़ रुपये का चंदा मिला।

हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना निर्माण को रोकने से किया इनकार

» हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में न सिर्फ याचिका खारिज की थी बल्कि दोनों याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया था। सनद रहे कि इससे पहले एक वकील ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है लेकिन वह हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं था। अनुवादक अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार व वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मई के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि हाईकोर्ट ने याचिका को बिना किसी जांच के फेस वैल्यू के आधार पर खारिज कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका(एसएलपी) में कहा गया है कि उनकी याचिका पूरी तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित थी, क्योंकि कोविड की भयावह दूसरी लहर ने दिल्ली शहर को तबाह कर दिया था और यहां की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर हमला मान लिया।

याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने गलत तरीके से और बिना किसी औचित्य या आधार के याचिका को गलत इरादे से प्रेरित और वास्तविकता की कमी के रूप में माना और याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वास्तविक इरादे को गलत तरीके से ले लिया।

वकील नितिन सलूजा के माध्यम से दायर इस याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष तौर पर केवल एक परियोजना को चुना है। जबकि इस बात पर गौर नहीं किया कि याचिका में उन परियोजनाओं के मामलों में भी स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई थी, जो कोविड प्रोटोकॉल या दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश में बिना किसी आधार के परियोजना के सार्वजनिक महत्व को बताया गया, जबकि केंद्र सरकार और किसी अन्य के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया था।

❐ **राज्य के संप्रभु कर्तव्य की अनदेखी हुई-** याचिका में यह भी दावा किया गया है कि हाईकोर्ट ने संसद के संप्रभु कार्यों के संचालन के महत्व पर तो विचार किया, लेकिन नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए राज्य के संप्रभु कर्तव्य की अनदेखी की, जो कि संविधान के अनुच्छेद-21 का अभिन्न अंग है। सनद रहे कि गत वर्ष 20 मार्च को केंद्र सरकार ने 20000 करोड़ रुपये के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए लैंड यूज में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना मध्य दिल्ली में 86 एकड़ भूमि से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय जैसी बिल्डिंग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गत पांच जनवरी को लैंड यूज और पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कोरोना का हवाला देते हुए निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी।